



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या- 962 -अ-2/सी०ई०एच०/सेवा-निवृत्ति/18

दिनांक: जुलाई 03, 2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा यथासंशोधित उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति नियमावली-1975 के विनियम-2(क) के साथ पठित परिषदाज्ञा संख्या-5008-जी०ई०सं०/राविप-जीएम-10(25)एच/1975 दिनांक 25-09-1975 द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या-जी-2-956/एक्स/534/19/1975, दिनांक 22-05-1975, पत्र संख्या-800-काविनी-29/पाकालि/2006-13-काविनी/1988 दिनांक 20-12-2006 एवं पत्र संख्या-320-काविनी-29/पाकालि/2008-13-काविनी/88 दिनांक 03-04-08 के तहत अधोनामित कारपोरेशन सेवक(अवर अभियन्ता) को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने की तिथि से मास के अन्तिम दिन अर्थात् उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि के अपरान्ह से सेवा-निवृत्ति हो जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान की जाती है:-

क० सं०	वरि० कमांक / कन्ट्रोल न०	अवर अभियन्ता का नाम	पिता का नाम	गृहजनपद	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	567	श्री विपिन प्रकाश वर्मा	श्री चन्द्रमणि वर्मा	जौनपुर	20.01.1959	31.01.2019

उपरोक्त आदेश उक्त अवर अभियन्ता की सेवा-निवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि से पूर्व कभी भी सेवा-निवृत्ति किया जा सकता है। किसी कारणवश यदि किसी अवर अभियन्ता का नाम उक्त सूची में सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह बिना किसी अग्रततर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवा-निवृत्ति/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवा-निवृत्ति तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पडती है तो वास्तविक सही तिथि को सेवा-निवृत्ति होना स्वयं कार्मिक की विधिक जिम्मेदारी होगी।

सत्यानन्द दीक्षित
मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)

संख्या- 962 -अ-2/मु०अ०(हा०)/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण क्षेत्र), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब) शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त पत्र (सी०डी० संलग्न) को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रशासनिक अधिकारी(पेंशन)।
5. कार्यालय अधीक्षक-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पेंशन।
6. कट फाइल

(Signature)
3-7-18
(अरुण कुमार)

वैयक्तिक सहायक-षष्ठम